न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 18 / 2020

1 सुशीला पत्नी लालसिंह जाति अहीर निवासी हसनपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) हाल निवासी ढाणी खुद रोही मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 महेन्द्र पुत्र स्व. किशनलाल
3 रामानन्द पुत्र स्व. किशनलाल
4 मु. श्रवण पत्नी पतराम
5 लीलाधर पुत्र पतराम
6 सुभाष पुत्र पतराम
7 बाबुलाल पुत्र रतीराम
जाति समस्त अहीर निवासीगण कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 अभिषेक दत्तक पुत्र मुखराम जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 राकेश पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना हाल निवासी पालोता रोड़ बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
3 रामसिंह पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4 अन्जना पुत्री किशनलाल पत्नी शिवकुमार जाति अहीर निवासी अटेली जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा हाल निवासी कलवा रोड़ बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
5 सुनिता पुत्री किशनलाल पत्नी नरेश जाति अहीर निवासी गुवानी तहसील अटेली जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
6 अमरसिंह पुत्र किशनलाल
7 बाबुलाल पुत्र किशनलाल
समस्त जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8 पार्वती पुत्री रतिराम पत्नी गजराज जाति अहीर निवासी निहालावास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
9 संतोष पुत्री रतिराम पत्नी श्री भगवान जाति अहीर निवासी निहालावास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
10 माया पुत्री रतिराम पत्नी ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी खालोटा तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
11 राजेन्द्र पुत्र बलवीर जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
12 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा जयपुर जरिये प्रबंधक
13 राजस्थान सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।
14 मु. कैलाश पुत्री पतराम पत्नी नरेश जाति अहीर निवासी गुवानी तहसील अटेली जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
15 मु. कमलेश पुत्री पतराम पत्नी सत्यवीर जाति अहीर निवासी बाछोद तहसील नारनौल ज़िला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड
अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं दावा उनवानी अभिषेक
बनाम सुशीला वगै. दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मु.नं. 140/2016 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.09.2019

अपील संख्या 123/2019

1 सुशीला पत्नी लालसिंह जाति अहीर निवासी हसनपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) हाल निवासी ढाणी खुद रोही मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 महेन्द्र पुत्र स्व. किशनलाल
3 रामानन्द पुत्र स्व. किशनलाल
4 मु. श्रवण पत्नी पतराम

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

5 लीलाधर पुत्र पतराम
6 सुभाष पुत्र पतराम
7 बाबुलाल पुत्र रतीराम
जाति समस्त अहीर निवासीगण कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 अभिषेक दत्तक पुत्र मुखराम जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 राकेश पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना हाल निवासी पालोता रोड़ बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
3 रामसिंह पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4 अन्जना पुत्री किशनलाल पत्नी शिवकुमार जाति अहीर निवासी अटेली जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा हाल निवासी कलवा रोड़ बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
5 सुनिता पुत्री किशनलाल पत्नी नरेश जाति अहीर निवासी गुवानी तहसील अटेली जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
6 अमरसिंह पुत्र किशनलाल
7 बाबुलाल पुत्र किशनलाल
समस्त जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
8 पार्वती पुत्री रतिराम पत्नी गजराज जाति अहीर निवासी निहालावास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
9 संतोष पुत्री रतिराम पत्नी श्री भगवान जाति अहीर निवासी निहालावास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
10 माया पुत्री रतिराम पत्नी ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी खालोटा तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
11 राजेन्द्र पुत्र बलवीर जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा जयपुर जरिये प्रबंधक
13 राजस्थान सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।
14 मु. कैलाश पुत्री पतराम पत्नी नरेश जाति अहीर निवासी गुवानी तहसील अटेली जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
15 मु. कमलेश पुत्री पतराम पत्नी सत्यवीर जाति अहीर निवासी बाछोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं दावा उनवानी अभिषेक बनाम सुशीला वगै. दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मु.सं. 140/2016 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2019

उपस्थिति :
1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बिरजूसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 6/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 140/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2019, 25.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भूमि खसरा नम्बर 35, 36, 63, 64, 72, 102, 218, 507 वाके ग्राम कलाखरी व खसरा नम्बर 9, 44, 45, 57, 75/44, वाके ग्राम मानपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर प्राथमिक डिक्री की अपील धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रकरण सहमति से रिमांड करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष ने वरवक्त बहस सहमति व्यक्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमांड करने का निवेदन किया है। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने आदेशिका पर सहमति के हस्ताक्षर भी किये है।

न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर